न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

स्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 1221/2017

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
पदमसिंह पुत्र सबलसिंह जाति राजपुत निवासी नारवा जिला जोधपुर, हाल खारियासोडा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. नेमाराम 2. लालाराम 3. रूपाराम 4. कानाराम पिसरान ढगलाराम, जातियान सीरवी, निवासीगण खारिया सोडा, तह0 सोजत, जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री गोविन्द बंजारा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 28.10.2021

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया कि सरहद मौजा खारिया सोडा पटवार हल्का खारिया सोडा तह0 सोजत जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 344 रकबा 1.1700 हैक्टर बा0अ0 की जोत सें नया मार्ग हमारे खातेदारी खसरा नंबर 341 रकबा 1.1300 हैक्टर बा0अ0 मे जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थी द्वारा राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' की उपधारा 2 के अधीन अनुज्ञा के लिए न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी की अपनी खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 341 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 344 मे से 10 फीट चौड़ा रास्ता जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है। उस रास्ते को कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 341 में पहुँच हेतु अन्य कोई विकल्प रास्ता नही है तथा मुख्य सड़क खसरा संख्या 344 से निकटतम उक्त रास्ता प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में काश्त करने मे असुविधा उत्पन्न होती है। प्रार्थी रास्ते के एवज मे अप्रार्थीगण को नियमानुसार राशि उपलब्ध कराने को तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित लाल रंग से दर्शित भूमि खसरा नंबर 344 में से 10 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को खसरा संख्या 341 तक आवागमन हेतु उपलब्ध करवाये जाने तथा राजस्व रेकर्ड व राजस्व नक्शे मे तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश नारायण ओझा ने वकालतनामा एवं प्रा0 पत्र 07रूल्स 11 सी.पी.सी. पेश की प्रतिलिपि अधिवक्ता प्रार्थी को उपलब्ध कराई गई, सामिल मिसल किया गया। किन्तु तत्पश्चात् अनेकानेक

उपखण्ड अधिकारी सोजत

सर दिये जाने पर भी जबाव दरखास्त 07रूल्स 11 सी.पी.सी. का पेश करने में विफल रहने आज दिनांक 28.10.2021 को अवसर समाप्त किया जाकर जबाब दरख्वास्त 07 रूल्स 11 सीपीसी अधिवक्ता प्रार्थी का बन्द किया गया। तहसीलदार सोजत से वांछित तीनो बिन्दुओं पर मौका जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार सोजत ने प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका उनके पत्रांक/राजस्व/2021/2281 दिनांक 05.04.2021 द्वारा पेश कर अंकित किया, कि उक्त जॉच हमराह भू0अभि0 निरीक्षक सोजत रोड़, पटवारी हल्का खारिया सोडा तथा मौतबिरान रूबरू मौजा खारिया सोडा के ख0न0 341 एवं 344 का मौका निरीक्षण किया अर्थात् प्रार्थी की कृषि भूमि ख0नं0 341 का मौका निरीक्षण किया गया। जिसके वर्तमान में कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। राजस्व रेकर्ड नक्शा मौका जांच की गई। मौके पर 341 में जाने हेतु नजदीकी कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण उक्त ख0न0 341 में आवागमन आस पास के खेतो की मॉठ मॉठ होकर आते जाते है। मौके पर रास्ते के चिन्ह मौजूद नहीं है। जिससे प्रा0 पत्र में प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के रूप में ख0न0 344 में से होते हुए मांग की गई है जो दूरी सबसे कम है, निकटतम है। जो कि संलग्न नजरी नक्शानुसार लाल स्याही से दर्शाया गया है। जिसे 3 मीटर चौडाई में दिया जाना प्रस्तावित किया है, जिसका रकबा क्रमशः 0.0300 हैक्टर है। उक्त प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नही है तथा मौके पर कोई चिन्ह नहीं है। सब रजिस्ट्रार सोजत ने प्रस्तावित प्रार्थित रास्ते की भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 118260/- रूपये प्रति हैक्टर दर्शाई है। पत्रांक/राजस्व/2021/4321 दिनांक 28.10.2021 द्वारा पूर्वोक्त पत्र द्वारा तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर) ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रेषित कर उक्त निकटतम रास्ता होने से न्यायोचित अंकित किया है। बहस अधिवक्ता प्रार्थी दरख्वास्त 07 नियम 11 सीपीसी एवं प्रा0 पत्र धारा 251ए आरटीएक्ट 1955 सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना। दरख्वास्त आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वर्णित तथ्यों एवं धारा 251ए में प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात तथा मौका रिपोर्ट तहसीलदार, सोजत डी0एल0सी0 दर का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूॅच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित होता है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 344 रकबा 1.1700 हैक्टर में से होकर ही पाया जाता है। फलस्वरूप अधिवक्ता मय अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी तथ्यहीन व आधारहीन साबित खारिज किये जाने योग्य है, लिहाजा खारिज किया जाता है। फलतः इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थित रास्ते की भूमि डी0एल0सी0 की दर की दौ गुना प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण को भुगतान किये जाने तथा रास्ते की भूमि आवागमन हेतु प्रार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा खारिया सोडा पटवार हल्का खारिया सोडा तह0 सोजत जिला पाली में प्रार्थी की कृषि जोत भूमि खसरा नम्बर 341 रकबा 1.1300 हैक्टर किस्म बा0अ0 की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि ख0न0 344 रकबा 1.1700 हैक्टर किस्म बा0अ0 में से 100 × 3 = 0.0300 हैक्टर कृषि भूमि में से सम्बद्ध निम्नांकित खातेदारानों के नाम के आगे अंकित भूमि प्रतिकर मुआवजा राशि की डी0एल0सी0 दर 118260/– प्रति हैक्टर की दौगुणा राशि (100 × 3 = 300 वर्गमी0 अर्थात् 0.0300 है0 ×118260 रूपये प्रति0 हैक्टर × 2 गुना = 7096/– रूपये) (सात हजार छिआनवे रूपये मात्र) उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा जरिए डिमाण्ड ड्राप्ट करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

क0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में
1	344 बा0अ0	1.1700	नेमाराम	100 X 03 वर्गमी0 = 0.0300 है0	1774/–
2			लालाराम		1774/–
3			रूपाराम		1774/–
4			कानाराम पि0 ढगलाराम जातियान सिरवी, नि0 खारीया सोढा तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1774/–
				योगः–	7096/–

तदानुसार राजस्व रेकर्ड, नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये। उक्त निर्णय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली

फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत